अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 58 / 2011

गणेश राय उर्फ गणेश प्रसाद राय

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, सोनपुर, सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
10.06.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर, सारण के आदेश ज्ञापांक 342 आ0, दिनांक 29.04.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 13.12.2010 को गणेश राय उर्फ गणेश प्रसाद राय, ठेला भेण्डर, पंचायत–हराजी, प्रखंड–दिघवारा के विरूद्ध सत्येन्द्र कुमार एवं सुरेश राय वगैरह के द्वारा दिए गए परिवाद पत्र की जांच जिला स्तरीय जांच दल (अंचल अधिकारी, दिघवारा एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी,दिघवारा) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि हराजी बाजार का सरकारी डाक गत वर्षो से सामाप्त हो गया है। लोगों का आना–जाना बंद हो गया है। इस लिए बाजार पर विक्रेता के द्वारा किरासन तेल का वितरण नहीं किया जाता है। जांच के क्रम में भंडार पंजी एवं वितरण पंजी की मांग करने पर विक्रेता के द्वारा अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी,सोनपुर सह अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 1067/आ0, दिनांक 31.12.2010 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को अपने ज्ञापांक 43/आ0, दिनांक 31.01.2011 के द्वारा निलंबित करते हुए पुनः कारण पृच्छा करते हुए निदेश दिया गया कि चिन्हित बिन्दुओं पर अपना	

जवाब प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी जाएगी। विक्रेता के द्वारा अपना द्वितीय स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसे भी असंतोषजनक पाते हुए अपने ज्ञापांक 342/आ0, दिनांक 29.04.2011 के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

दिनांक 25.11.14 को अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। सुनवाई के उपरांत इस न्यायालय के ज्ञापांक 34 दिनांक 13.01.15 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी दिघवारा को विक्रेता से प्राप्त जवाब एवं संलग्न कागजातों की प्रति भेजकर प्रतिवेदन की मांग की गई कि जिन व्यक्तियों का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान वितरण पंजी में अंकित है, वे किस क्षेत्र के है एवं उनके द्वारा प्रासंगिक अवधि में किरासन तेल प्राप्त किया गया है या नहीं। प्रखंड विकास पदाधिकारी दिघवारा के पत्रांक 376 दिनांक 25.05.15 के द्वारा प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दिघवारा से प्राप्त प्रतिवेदन को संलग्न कर अनुशंसा के साथ प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार किरासन तेल लाभुक उसी क्षेत्र के है, एवं उनके द्वारा प्रासंगिक अवधि में किरासन तेल प्राप्त किया गया था।

आज दिनांक 10.06.15 को अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ पुनः उपस्थित हुये। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि गणेश प्रसाद राय, ठेला भेण्डर हराजी के द्वारा किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है। खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1004 दिनांक 22.08.2006 के द्वारा निर्गत निर्देश के आलोक में दलित कॉलोनी, झुगी झोपडी, रैन बसेरा, अत्योदय परिवार, अन्यपुर्ण परिवार, विधवा, विकलांग परिवार के बीच किरासन तेल का वितरण किया जाता था। सुलभ प्रसंग हेतु विक्रेता के द्वारा भण्डार पंजी एवं वितरण पंजी की छायाप्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है जिसकी जॉच भवदीय के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी दिघवारा से करायी गयी है, जिनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि ठेला भेण्डर के द्वारा नियमित रूप से विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में संबंधित उपभोक्ताओं के बीच किरासन तेल का वितरण किया जाता था। उनके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप गलत है। ठेला भेण्डर के उपभोक्ताओं के द्वारा ठेला भेण्डर के पक्ष में आवेदन दिया गया है, जो अभिलेख में रक्षित हैं। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया

गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में अनियमितता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (342 आ0, दिनांक 29.04.2011) एक मुखर आदेश नही है। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना विधिसम्मत नही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी को अपने आदेश में विक्रेता से प्राप्त जवाब में मौजूद कमियों का उल्लेख करना चाहिए था। प्रखंड विकास पदाधिकारी दिघवारा के पत्रांक 376 दिनांक 25.05.15 के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि गणेश राय उर्फ गणेश प्रसाद राय ठेला भेण्डर के विरूद्ध लगाये गए आरोप गलत है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

10/06/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 390 /दिनांक 10/6/15

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- विद्वान विशेष लोक अभियोजक, 7 ई0सी0, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एन0आई0सी0 सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/6/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।